



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072022-237237
CG-DL-E-11072022-237237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3006]
No. 3006]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2022/आषाढ़ 20, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2022/ASHADHA 20, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2022

का.आ. 3161(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 के नियम 6 के उप-नियम (1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रणाली को स्थापित और संचालित करने के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 23/09/2021-आरएंडआर]

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER
NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2022

S.O. 3161(E).—In exercise of the powers conferred by Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-rule (1) of rule 6 of the Electricity (Promoting Renewable Energy through Green Energy Open Access) Rules, 2022, the Central Government hereby notifies the Power System Operation Corporation Limited as the Central Nodal Agency to set up and operate a single window green energy open access system for renewable energy.

[F. No. 23/09/2021-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.